नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 646/13–14
अंकेक्षण वर्ष– 2007–08 से 12–13

1. प्रस्तावना

हवेली खड़गपुर, नगर पंचायत के वर्ष 2007–08 से 2012–13 के लेखाओं की नमुना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 17.06.2013 से 22.06.2013 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

कार्यपालक पदाधिकारी

क0सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम(सर्वश्री)	अवधि
1	रविन्द्र राम	01.04.07 से 14.07.07
2	विपिन कुमार यादव	14.07.07 से 26.10.07
3	तौकीर आलम	26.10.07 से 01.12.09
4	आशीष नारायण	01.12.09 से 20.04.10
5	परनानन्द सिंह	20.04.10 से 31.03.13

मुख्य पार्षद

1	श्री गोपाल दास	01.04.07 से 08.06.07
2	श्रीमति निर्मला देवी	09.06.07 से 08.06.12
3	श्रीमति दीपा केशरी	09.06.12 से 31.03.13

उप मुख्य पार्षद्

1	श्रीमति सुन्दरी देवी	01.04.07 से 08.06.07
2	श्री विपिन कुमार	09.06.07 से 08.06.12
3	श्री महेश प्रसाद साव	09.06.12 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – I तथा लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– II में दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया।

(87)

5. प्रमुख लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

क्र0सं0	कंडिका सं0	विवरणी
1	11	निधि का अवरोधन– ₹32.08 लाख
2	12	13वीं वित मद की अनुदान का विचलन– ₹34.13 लाख
3	13	कम/नहीं जमा– ₹3.54 लाख
4	15	सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं:– ₹5.30 लाख
5	16	होल्डिंग टैक्स का बकाया किराया– ₹8.87 लाख
6	17	स्वास्थ्य एवं षिक्षा उपकर की वसूली नहीं– ₹1.42 लाख
7	18	बकाया दुकान किराया–₹4.32 लाख
8	19	संचार (मोबाइल) टावरों का पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क का बकाया–₹2.88 लाख
9	20	सुरक्षित जमा से कम में बन्दोवस्ती किए जाने से राजस्व क्षति–₹0.70 लाख
10	23	सोलर लाईट क्रय में अनियमितता– ₹6.99 लाख
11	24	अनियमित रूप से एकल निविदा–₹35.85 लाख
12	26	विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं–₹1.73 लाख
13	27	श्रम उपकर की कटौती नहीं–₹1.50 लाख
14	24	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय– ₹16.00 लाख

6. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नगर पंचायत लेखा के आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, परन्तु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली,1928 के नियम 20, 30 तथा 36 एवं रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली के नियम 37 एवं 39 आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आंतरिक जाँच के प्रावधान हैं। नियमावली में दी गयी जाँच प्रकिया का उद्धेश्य लेखापरीक्षा के समुचित संधारण तथा समन्वयन के साथ– साथ त्रुटियाँ एवं अनियमितताओं का निराकरण करना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त नियमावली में वर्णित जाँच नहीं की गयी, जिसके कारण अनेक अनियमितताएँ पायी गयी। इनकी विवेचना आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

निश्चित अन्तराल पर अगर नगर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा उक्त जाँच प्रकिया अपनायी गयी होती तो लेखापरीक्षा के क्रम में पायी गयी त्रुटियाँ नहीं होती।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से यह अनुरोध है कि आंतरिक जाँच प्रकिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितता/त्रुटियों का पुनरावृति न हो।

89

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14435/1894 दिनांकः– 26.9.14

Spl. Sec.

17 OCT 2014

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के वर्ष 2007–08 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 646/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

29/9/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

7. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के सामान्य रोकड़ बही जो सहायक रोकड़ बहियों के आधार पर संधारित था, के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक आय व्यय विवरणी तैयार किया गया है:–

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

(ख) बी.आर.जी.एफ. रोकड़ बही

बी.आर.जी.एफ. मद के लिए अलग रोकड़ बही संधारित किया गया था, जिसके अनुसार आय– व्यय निम्न प्रकार से था–

विवरणी	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
प्रारंभिक शेष	शून्य	2416671	6264629	6774460	11356288
वर्ष की प्राप्ति	2946771	4881272	2387930	4881828	3184466
कुल प्राप्ति	2946771	7297943	8652559	11356288	14540754
कुल व्यय	530100	1033314	1878099	शुन्य	4739066
अन्तशेष	2416671	6264629	6774460	11356288	9801689

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर)

8. बैंक समाधान विवरणी

सहायक रोकड़ बहियों एवं बैंक खाता/कोषागार खाता का अन्त अन्तशेष दिनांक 31.03.2013 को निम्न प्रकार से था:–

क0 सं0	सहायक रोकड़ बही	बैंक एवं खाता सं0	अंतिम संधारित तिथि तक रोकड़ बही का अन्तशेष	तदनुसार बैंक का अन्त शेष	बैंक /कोषागार खाता का अन्तशेष (31.03.13)	अन्तर
1	बी.आर.जी.एफ	पी.एन.बी. –07370001031461411	9801689.00 31.03.13	——	9841256.00 31.03.13	39567.00
2	एस.जे.एस.आर. वाई	पी.एन.बी. –07370001031460196	2930609.66 31.03.13	——	3203672.00	
3	विविध (वाणिज्य एवं अन्य)	कोषागार खाता–071	1017904.75 12.07.10	6961302.41 12.07.10	22463341.41 31.03.13	ज्ञात नहीं
4	न0वि0वि0		6589596.30 01.10.10	6579944.41 01.10.10		ज्ञात नहीं
5	चतुर्थ राज्य वित		13186702.00 31.03.13			ज्ञात नहीं
6	वेतन भत्ता एवं विविध	बैंक ऑफ इण्डिया–464610100006196	1817031.66 06.03.12	223337.00 06.03.12	1253247.00	ज्ञात नहीं
7	एन.एस.डी.पी		78700.00 31.03.13		अनुपलब्ध	ज्ञात नहीं

185

8	जनगणना	पी.एन.बी. —0737000100209889	12534.00 31.03.13			ज्ञात नहीं
9	मार्केट कम्पलेक्स (स्वपोषित)		87700.00 31.03.13	192342.50	356824.50	ज्ञात नहीं
10	राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा		शुन्य 31.03.12		अनुपलब्ध	ज्ञात नहीं

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ :–

1. उपरोक्त सहायक रोकड़ बहियों के आधार पर सामान्य रोकड़ बही का संधारण किया जा रहा था। उपरोक्त सहायक रोकड़ बही का संधारण उपरिवर्णित तिथि तक ही किया गया था तथा तदनुसार जांच भी उक्त तिथि तक ही किया गया। सामान्य रोकड बही दिनांक 20.04.11 तक ही संधारित किया गया था। जिसके कारण मदवार अन्त शेष दिनांक 31.03.13 का सत्यापित नहीं किया जा सका।
2. वर्ष के अन्त में शीर्षवार आय – व्यय विवरणी (मासिक एवं वार्षिक) नहीं बनाया गया।
3. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।
4. वार्षिक लेखा भी तैयार नहीं किया गया था
5. एक से अधिक मदों का संव्यवहार संयुक्त रूप से एक ही बैंक खातों/कोषागार खाता से किया जा रहा था। परिणामस्वरूप मदवरा बैंक का अन्तशेष ज्ञात नहीं किया जा सका।
6. सहायक रोकड़ बहियों में चेक सं0, तिथि व उददेश्य आदि का उल्लेख व्यय भाग में नहीं किया गया था।
7. किसी भी मद के रोकड़ बहियों में बैंक ब्याज का इन्द्रराज नहीं किया गया था।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जवाव दिया गया कि उपर्युक्त सभी कंडिकाओं का बिन्दुवार अनुपालन शीघ्र किया जायेगा एवं अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायेंगे साथ ही अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उपरोक्त सभी का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

9. वार्षिक लेखा तथा वजट प्राक्कलन

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर द्वारा, बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 के नियम 82 से 84 के तहत, वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2012–13 तक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए मदवार प्राप्तियों एंव मासिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। वार्षिक लेखा तैयार नहीं किये जाने से शीर्षवार आय एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

पुनः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 84 के अनुसार उसे सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं समिति उसमें यथोचित संशोधन कर सकेगी। 15 मार्च तक नगरपालिका ऐसे

परिवर्तन के साथ अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे। नगर पंचायत के मामलें में स्वीकृत बजट को उप निदेशक लोकल फंड को भेजा जाएगा जिसे वह 31 मार्च तक वापस कर सकेगा।

नगर पंचायत कि तथा समय– समय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार बगैर बजट प्रावधान के किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा। बगैर बजट प्रावधान के उक्त वर्षों में किए गए व्यय को अप्राधिकृत व्यय माना जाएगा। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2012–13 के दौरान किया गया संपूर्ण व्यय अप्राधिकृत हो गया।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि वर्ष 2013–14 से बजट बनाया गया है। इसके पूर्व वर्ष का बजट नहीं बनाया गया था।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 1928, तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय– समय पर जारी किया गया दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष मदवार प्राप्तियों एवं व्यय को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक, त्रैमासिक व मासिक लेखा तथा बजट प्राक्कलन तैयार करवाने की दिशा में उचित व प्रभावी कदम उठाया जाय।

10. सरकारी अनुदान

यद्यपि नगर पंचायत के द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था फिर भी प्रस्तुत किये गये सहायक रोकड़ बहियों, आवंटन पंजी एवं कोषागार आवंटन पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक कुल ₹62833145.00 का अनुदान/आवंटन सरकार से प्राप्त हुआ था। परन्तु ₹60966185.00 ही नगर पंचायत के खाता में जमा हो सका।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V पर)

न0वि0 एवं आ0वि0, पटना पत्रांक 53 एवं 61 दिनांक 19.03.12 को चतुर्थ राज्य वित आयोग के अन्तर्गत असम्बद्ध अनुदान मद में ₹2000000.00 प्राप्त हुआ था जिसे बिल कोउ एन–221780193005, मांग सं0 48 के द्वारा कोषागार में दिनांक 28.03.12 को जमा किया गया था, लेकिन कोषागार में नगर पंचायत के खाता–पी0एल0ए0–071 में सिर्फ ₹200000.00 मात्र ही कोषागार कार्यालय के द्वारा किया गया था, जिसकी स्वीकृति कोषागार अधिकारी के द्वारा पत्रांक 1148 दिनांक 04.09.12 किया गया, फलतः ₹1800000.00 का राजस्व हानि नगर पंचायत को उठाना पड.ा। इसकी प्रविष्टि सहायक रोकड़ बही में इस मद के सामंजस्य हेतु ₹1800000.00 को दिनांक 11.09.12 को व्यय भाग में व्यपगत के रूप में की गई थी।

इस संबंध में नगर पंचायत के द्वारा कोषागार खाता में असम्बद्ध अनुदान की कम जमा राशि रू. 1800000.00 की पुनः प्राप्ति हेतु न0वि0 एवं आ0वि0, पटना को पत्रांक 201 दिनांक 21.08.12 एवं 69 दिनांक 16.03.12 भेजा गया था। लेकिन इसकी भरपाई नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि तक नहीं हुई

(83)

थी। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि सरकारी अनुदान पंजी को संधारण कर एवं कोषागार खाता विवरणी को अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।

अतः अनुदान पंजी का उचित रूप से संधारण कर एव प्राप्त अनुदानों में से किये गये व्यय की उपयोगिता प्रमाणपत्र अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय तथा असम्बद्ध अनुदान का व्ययगत अनुदान राशि ₹1800000.00 की पुनः प्राप्ति हेतु प्रयास भी किया जाय।

11. निधि का अवरोधन–₹32.08 लाख

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक के विभिन्न मदो के सहायक रोकड़ पंजी एवं संबंधित बैंक खाता के नमूना जांच में पाया गया कि अनुदान की राशि दो या दो से अधिक वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी हुई थी जिसकी विवरणी इस प्रकार है–

क0 सं0	मद	स्वीकृतादेश सं0/तिथि	रोकड़ पंजी की तिथि	दिनांक जब से अनुदान अप्रयुक्त पड़ी हुई थी	अनुदान की राशि	अभियुक्ति
1	प्रशासनिक भवन का निर्माण	न0वि0 एवं आ0वि0 पटना ज्ञापांक 4533 दिनांक 29.08.08 (वर्ष 2008–09)	24.10.08 (नगर विकास विभाग सहायक रोकड़ बही)	24.10.08	2887875.00	लगभग 4.5 वर्ष से अप्रयुक्त
2	आई0एल0सी0एस0	न0वि0 एवं आ0वि0 पटना पत्रांक 138 दिनांक 09.02.11 (वर्ष 2008–09)	अलग रोकड़ बही संधारित नहीं	09.02.11	53375.00	लगभग 2 वर्ष से अप्रयुक्त
		केन्द्रांश राशि ड्राफ्ट सं0 403225/15.03.11		15.03.11	266875.00	लगभग 2 वर्ष से अप्रयुक्त
योग					3208125.00	

बिहार वित्त नियमावली 2005 (खंड–1) के नियम 343 के अनुसार अनुदान की राशि के उपयोग नहीं होने पर संस्वीकृति प्राधिकार को वापस कर देना चाहिए। अनुदान के अवरोधन से उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है जिसके लिए अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि प्रशासनिक भवन इसके सम्बन्ध में राशि व्यय नहीं होने का मूल कारण प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है इस आशय की सूचना सरकार को भेजी गई है भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किये जायेगें। आई0एल0सी0एस0 कुल 22 शौचालय का निर्माण संबंधित स्वयं सेवी संस्था आस्था ग्राम सेवा जमुई द्वारा किया गया है उन्हें कुल 35 उठाव शौचालय को जलवाही शौचालय में परिवर्तन करना था, जिन्हें

निदेश दिया गया है कि कुल 35 शौचालयों का विपत्र प्रस्तुत करें तब एक मुश्त में भुगतान जांचोपरान्त किये जायेगें।

अतः जवाब के मुताबिक उपरोक्त मद के अनुदान अवरोधन राशि ₹3208125.00 का व्यय उसके उद्देश्य के अनुसार यथाशीघ्र किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

12. तेरहवीं वित्त मद की अनुदान राशि का विचलन –₹34.13 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक 5/ब0 13वीं वित्त 3–01/10 –95/न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 17.08.10) द्वारा तेरहवीं मद की राशि के प्रयोग हेतु कुछ दिशानिर्देश दिए गए थे, जिसके तहत अनुदान राशि का व्यय निम्नवत किया जाएगा।

1. कम से कम 50 प्रतिशत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन
2. पाईप जलापूर्ति व्यवस्था
3. सड़कों में प्रकाश व्यवस्था/विद्युत विपत्र का भुगतान
4. रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख रखाव

   नगर पंचायत के वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक के 13वी वित्त मद से संबंधित योजना अभिलेख एवं योजना पंजी के नमुना जांच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में कुल 11 योजनाएं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण एवं नाला निर्माण से ली गई थी जिसमें प्राक्कलन ₹3414773.00 के विरूद्ध कुल ₹3412565.00 व्यय किया गया।

   (विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

उपर्युक्त सभी कार्यान्वित 11 योजनाएं सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के विपरीत थे। इस प्रकार कार्यान्वित योजनाओं में ₹3412565.00 का विचलन किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि ये सारी योजनाएं निर्वाचित मंडल बोर्ड के निर्णय एवं पारित होने के पश्चात ली गई। इस मद के अनुदान राशि के विचलन की भरपाई कर दी जाएगी।

अतः इस मद के अनुदान की विचलित राशि ₹3412565.00 की यथाशीघ्र भरपाई की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तथा भरपाई की जाने तक इस राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

13. कम/नहीं जमा– ₹3.54 लाख

गृह कर वसूली हेतु निर्गत किये गये होल्डिंग टैक्स रसीद बुकों, विविध रसीद बुकों जो विभिन्न तहसीलदारों को जारी किया गया था, को संबंधित दैनिक संग्रह पंजी एवं रोकड़ बही के साथ नमूना जांच में पाया गया कि वसुली गई होल्डिंग टैक्स एवं विविध रसीद बुको की राशि कमशः ₹312239.00 एवं ₹41708.00 को संबंधित निधि में जमा नहीं गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VII एवं VII(A) पर)

(8)

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया उपर्यूक्त राशि को जमा करा कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त राशि ₹353947.00 को नगर पंचायत के निधि में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

14. होल्डिंग टैक्स का पुनरीक्षण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 (उपधारा 13) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों पर होल्डिग का पुनरीक्षण किया जायेगा।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 उपधारा (9) में कहा गया है कि नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से वार्षिक किराया मूल्य पर कर की दर को पुनरीक्षित कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 127 के उपधारा से (10) में वर्णित है कि इस धारा को लागू करने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो राज्य सरकार को मूल सार को प्रभावित किए बिना निर्देश देने की शक्ति होगी।

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर में वर्ष 1983–84 से होल्डिग टैक्स का पुनरीक्षण नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी समय– समय पर यह निर्देश दिया जाता रहा है कि नगरपालिका अपने आंतरिक स्रोत से आय में बढ़ोतरी करे ताकि स्वाबलंबी हो सके। लगभग 29 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुराने दर से होल्डिग टैक्स की वसूली का होना राजस्व वृद्वि के प्रति घनघोर उदासीनता का द्योतक है। इस उदासीनता के कारण राजस्व की एक बड़ी राशि का उत्तरोतर क्षति हो रहा है। राज्य सरकार एवं नगर पंचायत के सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि होल्डिग टैक्स के पुनरीक्षण कार्य को शीघ्र करवाने की दिशा में कारगर कदम उठाएँ जायें।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि पूर्व में बोर्ड द्वारा होल्डिंग टैक्स के पुनरीक्षण हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था इस बार वर्ष 2013–14 से सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर कर निर्धारण हेतु प्रस्ताव पारित किये गये हैं तदनुसार वर्ष 2013–14 से होल्डिंग की वसूली की जा रही है।

अतः इसकी सत्यापन अगले अंकेक्षण में किया जाय।

15. सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं– ₹5.30 लाख

होल्डिंग (सम्पत्ति) कर से सम्बन्धित मॉग एवं वसुली पंजी नगर निकाय अप्रस्तुत या असंधारित थी। जिसके कारण नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कुल सरकारी भवनों एवं उस पर बकाया, करों की मॉग तथा संग्रहण की अद्यतन स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी, हालॉकि, नगर निकाय द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार दिनांक 31.03.13 तक नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत कुल 65 सरकारी भवनों एवं आवास पर ₹529682.78 होल्डिग कर के रूप में बकाया थी।

उपर्यूक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि सरकारी भवनों पर बकाये होल्डिंग टैक्स की वसूली हेतु अनेकों बार नोटिस जारी किया गया था। फिर भी सरकारी भवनों एवं आवासों का टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है इसके संबंध में भी जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया था। भविष्य में पुनः स्मार पत्र जिला पदाधिकारी की कार्रवाई हेतु अनुरोध किये जायेगें।

अतः उपर्यूक्त बकाया राशि ₹529682.78 वसूली हेतु सरकार के नोटिस में लाया जाय एवं कृत कार्रवाई से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

16. होल्डिंग टैक्स का बकाया राशि– ₹8.87 लाख

यद्यपि कार्यालय के द्वारा होल्डिंग टैक्स के मांग एवं वसुली पंजी एवं तहसीलदारों के द्वारा हस्त मांग पंजी को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर भी होल्डिंग टैक्स रसीद बुकों के जांच एवं नगर पंचायत के द्वारा मकान कर से संबंधित लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई विवरणी के अनुसार 31 मार्च 2013 तक कुल ₹8.86923 लाख होल्डिंग टैक्स बकाया था, निम्न है–

	पूर्व का बकाया	चालु मांग	कुल
	रू. लाख में		
वर्ष 2012–13	9.08493	1.20000	10.28493
मार्च 2013 तक वसुली	1.12628	0.28942	1.41570
बकाया (अन्तर)	7.95865	0.91058	8.86923

अंकेक्षण आपत्ति का नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि इसके सम्बन्ध में नोटिस एवं जिला पदाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था। बकाये हाल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है।

अतः होल्डिंग टैक्स की बकाया (31 मार्च 2013) राशि ₹886923.00 की वसुली हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

17. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि की वसुली नहीं– ₹1.42 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हाल्डिंग टैक्स के 50 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं 50 प्रतिशत शिक्षा उपकर के रूप में वसूली की जायेगी तथा वसूली गई स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि में से नगर निकाय के द्वारा 10 प्रतिशत वसूली प्रभार के रूप में कटौती कर शेष 90 प्रतिशत राशि को सरकारी कोष में जमा करना होगा।

परन्तु नगर पंचायत के सहायक, सामान्य रोकड़ बही व अन्य अभिलेख के नमूना जांच में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत निजी मकानों से 31 मार्च 2013 तक वसूली गई होल्डिंग टैक्स के 50 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं 50 प्रतिशत शिक्षा उपकर में से 10 प्रतिशत वसूली प्रभार की कटौती कर शेष राशि 90 प्रतिशत को सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया था।

नगर पंचायत के द्वारा उपलब्ध कराये गये होल्डिंग टैक्स के प्रतिवेदित आंकड़ों के अनुसार मार्च, 2013 तक कुल ₹141570.00 की वसूली निजी मकानों से की गई थी, निम्न है–

(79)

पूर्व का बकाया	हाल	कुल
112628.00	28942.00	141570.00

उपरोक्त होल्डिंग टैक्स ₹141570.00 में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर संगणना इस प्रकार होगा–

	स्वास्थ्य उपकर (50 प्रतिशत)	शिक्षा उपकर (50 प्रतिशत)	सकल योग
	70785.00	70785.00	141570.00
वसुली प्रभार (10 प्रतिशत)	7078.50	7078.50	14157.00
शेष राशि (90 प्रतिशत)	63706.50	63706.50	127413.00

नगर पंचायत के द्वारा इस संबंध में जवाब दिया गया कि इसके लिए भविष्य में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

अतः स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की वसुली प्रभार राशि ₹14157.00 की कटौती कर शेष राशि ₹127413.00 को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

18. बकाया दुकान किराया राशि ₹4.32 लाख

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा दुकानों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थित कुल दुकानों की संख्या, मांग, वसूली एवं बकाया को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

यद्यपि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये जय प्रकाश मार्केट कम्पलेक्स के अंतर्गत आवंटित कुल 26 दुकानों की सूची एवं उस पर बकाया राशि की विवरणी के अनुसार मार्च 13 तक कुल ₹432100.00 बकाया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति

1. प्रस्तुत की गई सूची से साफ स्पष्ट था कि किराया एक लम्बी अवधि से चला आ रहा था, जो दर्शाता है कि इसके वसुली हेतु नगर पंचायत के द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे थे।
2. दुकान सं0. 05, 06, 07, 09, 11, 14, 16, 20 एवं 23 के द्वारा मासिक किराया प्रारंभ भी नहीं किया गया था।
3. संबंधित दुकानों के एकरारनामा के नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि किसी भी एकरारनामा में किराया नहीं देने/विलम्ब से देने की स्थिति में किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई/दंड का प्रावधान नहीं किया गया था जिसका गलत फायदा दुकानदारों द्वारा उठाया जा रहा था। इसके अलावे वर्तमान किराया दर 2001 में किये गये एकरारनामा के अनुसार था। एकरारनामा में किराया कितने वर्षों में कितना बढाया जाएगा इसका प्रावधान नहीं किया गया था जिसके अभाव

में करीब 12 वर्ष बीतने के बावजूद किराये में वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान किराया दर रू. 300/– प्रति माह, जो बाजार दर से काफी कम था, युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि दुकानदारों से मासिक किरायें की वसूली हेतु नोटिस निर्गत कर कार्रवाई की गई थी

परिणामस्वरूप दुकानदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है जो विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त जवाब को सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि नगर पंचायत के द्वारा किए गए दुकानों के मालिकों से एकरारनामा में कोई विधिसम्मत निबंधन एवं शर्तें नहीं किए जाने के कारण दुकान मालिकों के द्वारा नाजायज फायदा उठाया जा रहा था। अतः यह नगर पंचायत की ओर से जानबूझकर गलती करने का परिणाम है।

अतः दुकानों से बकाया किरायों राशि ₹4.32 लाख की वसूली के साथ– साथ अन्य अंकेक्षण आपत्तियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

19. संचार (मोबाइल) टावरों का पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की बकाया राशि– ₹2.88 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹30000 प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क ₹8000/– प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार, उपयुर्क्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर्यूक्त वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर निकाय द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी एवं संबंधित अभिलेखों के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत 09 मोबाइल टावर एवं 01 अतिरिक्त ऐन्टिना विभिन्न कम्पनियों की भिन्न– भिन्न वर्षों में उक्त अधिसूचना जारी के पूर्व में अधिस्थापित किये गये थे, जो उपर्युक्त नियमावली के अनुसार नगर निकाय से अपंजीकृत थे, दिनांक 31.03.13 तक कुल ₹2.88 लाख पंजीकरण एवं नवीनीकरण के रूप में बकाया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर)

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जवाव दिया गया कि इसके संबंध में पूर्व में नोटिस निर्गत किया गया था तथा भविष्य में इसकी वसूली हेतु सख्त (टावर सील) कार्रवाई की जायेगी।

अतः बकाया राशि ₹288000.00 मोबाइल टावर मालिकों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

77

20. सुरक्षित जमा से कम में बन्दोवस्ती किये जाने से राजस्व क्षति– ₹0.70 लाख

सैरातों की बन्दोवस्ती के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों से नगर प्रवेश शुल्क की वसुली की बन्दोवस्ती के लिए वर्ष 2009–10 में सुरक्षित जमा राशि ₹250000.00 निर्धारित किया गया था जिसकी खुली डाक के द्वारा दिनांक 26.03.09 को निर्धारित की गई थी जिसकी स्वीकृति कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 18.03.09 को एवं नगर पंचायत अध्यक्षा के द्वारा दिनांक 19.03.09 को प्रदान की गई थी तथा इसके दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण में विज्ञापन प्रकाशन की सूचना दिनांक 20.03.09 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिया गया था। लेकिन समाचार पत्रों में विज्ञापन छपने की प्रमाण नहीं था।

परन्तु आसन्न लोकसभा आम निर्वाचन 2009 के मददेनजर आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मुंगेर से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु स्वीकृति कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 21.03.09 को दी गई, लेकिन जिला पदाधिकारी द्वारा इसकी बन्दोवस्ती की स्वीकृति प्राप्त करने की साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया।

तदन्तर नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा इसकी सुरक्षित जमा ₹2.50 लाख से घटाकर 01 लाख कर दिया गया, जिसकी विज्ञापन छपवाने हेतु (ज्ञापांक 165 दिनांक 22.06.09) कार्यपालक पदाधिकारी, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद के द्वारा स्वीकृति दिनांक 22.06.09 को प्रदान की गई थी।

इस प्रकार व्यवसायिक वाहनों से नगर प्रवेश शुल्क की वसुली हेतु वर्ष 2009–10 में सुरक्षित जमा राशि का घटाना उचित नहीं था।

इसकी वन्दोवस्ती की आम डाक की साक्ष्य (तुलनात्मक डाक विवरणी) भी संचिका में उपलब्ध नहीं था। परन्तु इसकी बन्दोवस्ती खुली डाक (दिनांक 07.07.09) के द्वारा करने की साक्ष्य (पत्रांक 239 दिनांक 08.09.09) संचिका में पाया गया तथा दिनांक 01.04.09 से 06.07.09 तक की कोई विभागी वसुली भी नहीं की गई थी और न ही कोई आदेश निर्गत किये गये थे।

इस पत्रांक 239 दिनांक 08.09.09 के अनुसार सभी प्रकार के व्यवासयिक वाहनों के प्रवेश शुल्क की बन्दोवस्ती ₹114000.00 (अवधि 07.07.09 से 31.03.10 के लिए) किया गया था जबकि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निधारित किये गये सुरक्षित जमा ₹250000.00 के आसन्न में बन्दोवस्ती उक्त किये अवधि के लिए सुरक्षित जमा कम से कम ₹183562.00 निर्धारित होना चाहिए था तथा बन्दोवस्ती इस सुरक्षित जमा से कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन बन्दोवस्ती इससे कम मात्र ₹100000.00 में बन्दोवस्ती की गई थी, जिसके कारण ₹69562.00 की कम से कम राजस्व क्षति हुई, की गणनां निम्न है –

01.04.09 से 31.03.10 तक अर्थात 365 दिन के लिए सुरक्षित जमाः–	250000.00
07.07.09 से 31.03.10 तक अर्थात 268 दिन के लिए सुरक्षित जमाः–	183562.00
की गई बन्दोवस्ती (अवधि 07.07.09 से 31.03.10) राजस्व क्षति	114000.00
अन्तर	69562.00

चूंकि अगले वित्तीय वर्ष की बन्दोवस्ती पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च महीने में हो जानी चाहिए थी लेकिन नगर पंचायत के द्वारा इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये थे जिसके कारण अवधि 01.04.09 से 06.07.09 के लिए न ही बन्दोवस्ती की जा सकी और न ही विभागीय वसूली ही की गई थी। जिसके कारण नगर पंचायत को राजस्व क्षति उठानी पड़ी।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि इस सैरात की सुरक्षित जमा राषि का निर्धारण 2009–10 में लोक सभा आम निर्वाचन के मद्देनजर नियत समय पर बन्दोवस्ती नहीं होने के कारण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्धारित सुरक्षित जमा ₹250000.00 से घटाकर ₹100000.00 किया गया था तथा बन्दोवस्ती 07.07.09 से 31.03.10 तक के ₹114000.00 में किया गया था।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उक्त राजस्व क्षति ₹69562.00 के अलावे अवधि 01.04.09 से 06.07.09 के लिए विभागीय वसूली नहीं करने से भी हुई राजस्व क्षति की भरपाई जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं कृत कार्रवाइ से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

21. सैरातों की बन्दोवस्ती हेतु सुरक्षित जमा राशि का गलत निर्धारिण होने से राजस्व हानि की संभावना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार परिपत्र सं0 612/रा0भू0सु0 दिनांक 18.09.97 एवं पत्र सं0 09/सै0–7–प0व0–7/2001–668(9)/रा0, दिनांक 01.08.02 के अनुसार सैरातों की सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण प्रत्येक तीन वर्ष पर किया जाना है जिसमें विगत वर्ष की बन्दोवस्ती राशि/सुरक्षित जमा राशि जो भी अधिक हो, में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर कुल राशि को सुरक्षित जमा के रूप में निर्धारित किया जाना है।

परन्तु सैरातों के अभिलेख के नमूना जांच में पाया गया कि सैरातों की सुरक्षित जमा का निर्धारण पूर्व के तीन वर्षों के वन्दोवस्ती राशि का औसत निकालकर उसमें औसत राशि को जोड़कर कुल राशि को सुरक्षित जमा राशि का निधारित की जाती थी या फिर पिछले वर्ष का बन्दोवस्ती राशि को ही सुरक्षित जमा निर्धारित कर दी जाती थी। जो कि उपरोक्त पत्रांक के निर्देश के विरूद्ध था, विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है–

क. सब्जी बाजार

वर्ष	निर्धारित की गई सुरक्षित जमा	बन्दोवस्ती की गई राशि	निर्धारित होने योग्य सुरक्षित जमा राशि
2005–06	44313.00	50051.00	
2006–07	50100.00	51900.00	
2007–08	55220.0	181001.00	181001 + 181001 का 15 प्रतिशत
2008–09	181001.00	209000.00	208151.00 (181001 + 181001 का 15 प्रतिशत)
2009–10	209000.00	—	208151.00
2010–11 से 2012–13	बन्दोवस्ती पर रोक लगा दी गई है।		

175

ख. अर्गला फाटक

वर्ष	निर्धारित की गई सुरक्षित जमा	बन्दोवस्ती की गई राशि	निर्धारित होने योग्य सुरक्षित जमा राशि
2005–06	3149.00	3200.00	
2006–07		3200.00	
2007–08		3200.00	
2008–09	3393	बन्दोवस्ती नहीं हो रही है	3680.00 (3200 + 3200 का 15प्रतिशत)
2009–10 से 12–13	3400		3680.00

ग. टीन टोकन

वर्ष	निर्धारित की गई सुरक्षित जमा	बन्दोवस्ती की गई राशि	निर्धारित होने योग्य सुरक्षित जमा राशि
2005–06	21000.00	21950.00	
2006–07	23365.00	47000.00	
2007–08	47000.00	48102.00	
2008–09	48102.00	49101.00	55317.00 (48102 + 48102 का 15प्रतिशत)
2009–10	55278.00	56000.00	
2010–11	58728.00	59500.00	
2011–12	63100.00	63900.00	63615.00 (55317 + 55317 का 15प्रतिशत)
2012–13	68579.00	69050.00	63615.00
2013–14	79407.00	79607.00	63615.00

घ. सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के नगर प्रवेश शुल्क

वर्ष	निर्धारित की गई सुरक्षित जमा	बन्दोवस्ती की गई राशि	निर्धारित होने योग्य सुरक्षित जमा राशि
2009–10	250000.00	114000.00 (07.07.09 से 31.03.13)	
2010–11	174805.00	650000.00	
2011–12	747500.00	651000.00	
2012–13	542455.00	651501.00	859625.00 (747500 + 747500 का 15 प्रतिशत)
2013–14	749226.00	810000.00	859625.00

ड़ सड़कों के किनारे अवस्थित गुमटी से टौल टैक्स की वसुली

वर्ष	निर्धारित की गई सुरक्षित जमा	बन्दोवस्ती की गई राशि	निर्धारित होने योग्य सुरक्षित जमा राशि
2009–10	100000.00	13501.00	
2010–11	20700.00	21800.00	
2011–12	25070.00	40050.00	
2012–13	28885.00	40700.00	46805.00 (40700 + 40700 का 15 प्रतिशत)
2013–14	46805.00	95000.00	46805.00

अतः उपर्युक्तवर्णित सैरातों की सुरक्षित जमा नियमानुकूल की जाती तो स्पष्ट है कि सुरक्षित जमा राशि का निर्धारिण भी पूर्व की निर्धारित सुरक्षित जमा से अधिक होती। फलतः बन्दोवस्ती की राशि भी स्वाभाविक रूप से अधिक पर होती तथा इससे नगर पंचायत को राजस्व की अधिक प्राप्ति हाती। परन्तु ऐसा न होने से नगर पंचायत को राजस्व की भारी नुकासान उठाना पड़ रहा था।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में इसका ख्याल रखा जायेगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उच्च प्राधिकारियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि सैरातों की बन्दोवस्ती हेतु उपर्यक्त नियमों के अनुसार सुरक्षित जमा का निर्धारण सुनिश्चित किया जाय एवं राजस्व वृद्धि का ख्याल रखा जाय।

22. स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने से सरकार को राजस्व क्षति– ₹0.42 लाख

इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 (1)(डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोबस्ती रजिस्टर्ड होना चाहिए।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव दिनांक 14.08.02) एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन (पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05) के निर्देश के आलोक में किसी प्रकार की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए जिसका मूल्य बंदोबस्ती की राशि के 03 प्रतिशत के बराबर होगा।

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के वर्ष 2007–08 सें 2012–13 तक के सैरातों के बंदोबस्ती संबंधित अभिलेख के नमूना जांच में पाया गया कि किसी भी बंदोबस्तदार से बंदोबस्ती (वर्ष 2007–08 से 2010–11 में) संबंधित एकरनामा सरकारी मुदांक पेपर पर नहीं किया गया था। स्टाम्प पेपर पर बंदोबस्ती नहीं होने से राज्य सरकार को ₹42156.00 के राजस्व की क्षति हुई।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IX पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक स्टाम्प पेपर पर नहीं की गई थी जिसके भरपाई हेतु प्रयास किये जायेगे।

अतः उपर्युक्त राजस्व क्षति ₹42156.00 की भरपाई इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

23. सोलर लाईट की खरीद में वित्तीय अनियमितताएं

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर द्वारा वर्ष 2010–11 में बी0आर0जी0एफ0 मद से कुल 21 जगहों पर सोलर लाईट की खरीद कर उसका अधिष्ठापित किया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार है:–

क0 सं0	योजना सं0	योजना का नाम	प्राक्कलन	कुल भुगतान		एजेंसी का नाम एवं पता
				चेक सं0/दिनांक	राशि	
1	01/10–11	नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत 08 जगहों पर सोलर लाईट कर अधिष्ठापन	490048.00 (08 सोलर लाईट, दर 61256/– प्रति)	886811/15.07.10 886813/24.07.10 886820/25.11.10 योग	60000.00 381048.00 49000.00 490048.00	श्री राजेश कुमार मेसर्स आशीर्वाद अक्षय उर्जा एजेंसी पूरब सराय, मुगेंर
2	02/10–11	नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत 08 जगहों पर सोलर लाईट कर अधिष्ठापन	490048.00 (08 सोलर लाईट, दर 61256/– प्रति)	886812/22.07.10 886814/30.07.10 886821/25.11.10 योग	60000.00 381048.00 49000.00 490048.00	
3	03/10–11	नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत 05 जगहों पर सोलर लाईट कर अधिष्ठापन	306280.00 (05 सोलर लाईट, दर 61256/– प्रति)	886815/03.09.10 886817/13.10.10 886822/25.11.10 योग	37500.00 238152.00 30628.00 306280.00	

उपर्युक्त खरीददारी का निर्णय जिला स्तर पर वर्ष 2008–09 अंकित क्रय समिति के निर्णय के आलोक में ली गई एवं अलग– अलग तिथियों में एकरारनामा किया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार है–

क0 सं0	योजना सं0	एकरारनामा की तिथि	प्रशासनिक स्वीकृति (बोर्ड की बैठक की तिथि)	तकनीकी स्वीकृति	अभियुक्ति
1	01/10–11	13.07.10	02.07.10	उप विकास आयुक्त सह मु0 कार्य0 पदा0 जिला परिषद मुंगेर के पत्रांक 215 दिनांक 25.04.08	सोलर लाईट की कीमत 58900/– वैट 4 प्रतिशत 2356 योग 61256.00
2	02/10–11	20.07.10	02.07.10		
3	03/10–11	03.09.10	31.08.10		

बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 के नियम 131(च) के अनुसार उच्चाधिकारी के अनुमोदन से बचने के लिए सामाग्री की खरीददारी टुकड.ों में नहीं की जानी चाहिए।

उक्त नियमावली के नियम 131 (घ) के अनुसार 15 हजार से 01 लाख के बीच की सामाग्री के खरीददारी क्रय समिति के निर्णय के आलोक में कोटेषन के आधार पर की जा सकती है। पुनः उपर्यक्त नियमावली के नियम 131(5) के अनुसार सामाग्री की सीधी खरीद क्रय संगठन से की जा सकती है।

बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 के नियम 131(ज एवं झ) के अनुसार 01 लाख से उपर के सामाग्री की खरीददारी निविदा के आधार पर की जानी चाहिए।

पंचायत राज विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक 6193/पं0 रा0 दिनांक 22.07.10) द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया गया था कि सोलर लाईटस का क्रय एवं अधिष्ठापन ब्रेडा या बेलट्रान अथवा

ब्रेडा द्वारा अधिकृत बिक्रेता से ब्रेडा द्वारा निर्धारित मानक एवं मापदंड के आधार पर ही किया जा सकता हे। इस संदर्भ की प्रति उप विकास आयुक्त, मुंगेर (पत्रांक 244 दिनांक 07.05.12) द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, खड़गपुर को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई थी।

अंकेक्षण आपत्ति

1. 01 लाख से उपर की सामाग्री की खरीददारी में निविदा का प्रयोग किया जाना चाहिए था जबकि क्रय समिति के निर्णय के आलोक में सम्पूर्ण खरीददारी की गई।
2. सामाग्री की खरीददारी ब्रेडा द्वारा अधिकृत बिक्रेता द्वारा की जानी चाहिए थी। मेसर्स अक्षय उर्जा एजेंसी पूरब सराय मुंगेर जिला से ब्रेडा का अधिकृत बिक्रेता नहीं है फिर भी खरीददारी की गई।
3. खरीदी गई सामाग्री का इन्द्रराज नियमानुसार भण्डार पंजी में होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।
4. खरीदे गये सामाग्री का गुणवत्ता प्रमाण पत्र किसी तकनीकी पदाधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए थी लेकिन संचिका में इस संदर्भ में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं था।
5. सोलर लाईट का अधिष्ठापन किन– किन जगहों पर की गई इसका प्रमाण पत्र स्थानीय लोगों के साथ साथ वार्ड पार्षदों द्वारा होना चाहिए था। लेकिन इस संबध में कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था।
6. बिहार वैट नियमावली 2005 (नियम 28) एवं बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 40 के अनुसार रजिस्टर्ड डीलर द्वारा सर्किल से निर्गत फार्म सी–।।। अगर जमा नहीं करते हैं तो उसके विपत्र से वैट की कटौती की जाएगी। संचिका में आपूर्तिकर्ता द्वारा फार्म सी–।।। जमा करने का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। अतएव उनके विपत्र से ₹49476.00 (₹2356 गुणा 21) की कटौती करके भुगतान किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया।
7. संचिका में अलग से वारंटी कार्ड संलग्न नहीं था।
8. मेसर्स आशीर्वाद अक्षय उर्जा मुंगेर से मॉडल (एस पी भी माडुल 75 डब्लु पी बैटरी 75 ए0 एच0, सी.एफ.एल. 11 वाट, स्ट्रीट पोल 23 फीट) की खरीददारी ₹58900.00 (वैट को छोड़कर कर सहित) में की गई थी जबकि इसी मॉडल का तत्कालीन दर (प्रति सोलरलाईट) अधिकृत बिक्रेता बेलट्रान द्वारा ₹27975.00 (पत्रांक 1202 दिनांक 19.02.09) निर्धारित था। इस प्रकार मूल्य में इतना बड़ा विचलन कर अधिक भुगतान ₹649425.00 किया गया था, जिसकी संगणना निम्न प्रकार से है–

क0 सं0	योजना संख्या	क्रय दर (प्रति सोलर लाईट)	बेलट्रान का दर (प्रति सोलर लाईट)	अन्तर	क्रय सोलर लाईट की सं0	अधिक भुगतान	अभियुक्ति
1	01/10–11	58900.00	27975.00	30925.00	08	247400.00	दिए गए सोलर लाईट क्रय में वैट भुगतान शामिल नहीं है
2	02/10–11	58900.00	27975.00	30925.00	08	247400.00	
3	03/10–11	58900.00	27975.00	30925.00	05	154625.00	
योग						649425.00	

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि सोलर लाईट क्रय करने हेतु जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा दर को निर्धारित कर एजेन्सी का चयन किया गया था जिससे सोलर लाईट का क्रय किया गया।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि सोलर लाईट का क्रय ब्रेडा/बेलट्रान के एवं उसके द्वारा अधिकृत बिक्रेता से ब्रेडा द्वारा निर्धारित मानक एवं मानदण्ड के विपरीत अधिक दर पर किया गया था।

अतः उपरोक्त कुल 21 सोलर लाईट क्रय पर किए गए अधिक भुगतान ₹649425.00 की वसूली इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं अगले अंकेक्षण में सूचित किया जाय एवं साथ ही बिना फार्म सी–।।। सार्टिफिकेट प्राप्त किए उक्त एजेन्सी को किया गया कुल वैट भुगतान राशि ₹49476.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

24. अनियमित रूप से एकल निविदा की स्वीकृति– ₹35.85 लाख

बिहार वित्त नियमावली खंड–1 के नियम 30(6) (क) के अनुसार यदि प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर निविदा को तत्काल रदद कर दुबारा निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए। यदि पुनः एकल निविदा की प्राप्त हो और कार्य जनहित में उपयोगी हो तो बिहार लोक निर्माण संहिता खंड–1 के नियम 163 के अनुसार एकल निविदा की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से एक स्तर के उपर के पदाधिकारी द्वारा ली जानी चाहिए।

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2012–13 के विभिन्न मदों के योजनाओं के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राप्त एकल निविदा को प्रथम बार में ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जो उपरोक्त वित्तीय नियम का उल्लंघन कर उक्त योजनाओं के कियान्वयन पर कुल ₹3584544.00 का अनियमित व्यय किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IX पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि पूर्व में निविदा के माध्यम से योजनाओं का कियान्वयन नहीं किया जाता था जिसके कारण प्रथम वार सरकार के निर्देशानुसार

निविदा की प्रक्रिया अपनाई गयी एवं प्रकाशित निविदा में एक ही संवेदक भाग लिया गया जिसकी स्वीकृति जानकारी के अभाव में एकल निविदा की गई। भविष्य में इसका ख्याल रखा जायेगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उक्त योजनाओं पर किया गया अनियमित व्यय ₹3584544.00 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

25. योजना में अनियमितता

योजना सं0 –3/11–12 (तेरहवीं वित्त)

योजना का नाम –महावीर स्थान से भूम पंडित के घर तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण

प्राक्कलन –₹325200/– (निविदा स्वीकृति की राशि 0.5 प्रतिशत कम अर्थात ₹325038/–)

संवेदक का नाम – श्री पंकज मिश्रा

मापी की राशि –₹324707

संवेदक को शुद्व भुगतान – ₹296869 (कटौती की राशि ₹27838/–)

इस कार्य में प्राक्कलन के अनुसार 200 फीट लंबाई में नाली निर्माण तथा 200 फीट लंबाई में सड़क निर्माण (पी0सी0सी0 कार्य) करना था। द्वितीय एवं अंतिम दिनांक 30.08.12 को की गई , जिसमें पूर्व में किए गए कार्य को सम्मिलत करते हुए अद्यतन मापी की गई।

अंकेक्षण आपत्ति

(क)नाली निर्माण प्राक्कलन के अनुसार 200 फीट लंबाई में तथा सड़क निर्माण भी 200 फीट लंबाई में करना था। सड़क निर्माण से संबंधित प्राक्कलन में बालू भराई एवं ब्रीक फलैट सोलिंग कार्य 200 फीट लंबाई का प्राक्कलन बनाकर कार्य किया गया जबकि पी0सी0सी0 कार्य (1:1:5:3) 300 फीट लंबाई में प्राक्कलन बनाकर कार्य किया गया। बगैर अन्य आवश्यक कार्य किए 100 फीट लंबाई में ज्यादा पी0सी0सी0 कार्य के प्राक्कलन बनाकर उसका कियान्वयन किया गया था।

(ख) सड़क निर्माण से संबंधित कार्य बालू भराई (आइटम नं0 7) कार्य (मापी पुस्त पृष्ठ सं0 5) में प्रथम मापी में कुल 640.87 घन फीट कार्य किया गया। इस कार्य की द्वितीय एवं अंतिम मापी जो अद्यतन मापी थी। मापी पुस्तिका के पृष्ठ सं0 12–13 में बालू भराई का कार्य 640.87 घनफीट में किया गया। अद्यतन मापी में बालू का कार्य 842.12 घनफीट से अचानक घटकर 640.87 घनफीट हो गया था।

(ग) नाली एवं सड़क निर्माण कार्य में ईंट के प्रयोग होने वाले कार्य एवं आवश्यक ईंट की मात्रा की विवरणी इस प्रकार है–

क0सं0	कार्य का प्रकार	मापी पुस्तिका पृष्ठ सं0	दर्ज मात्रा	आवश्यक ईंट की मात्रा
1	नाली निर्माण	पी/10 ब्रीक वर्क	235.80 घनफीट	2712
2	नाली निर्माण	पी/09 ब्रीक फलैट सोलिंग	530.00 वर्गफीट	1590
3	सड.क निर्माण	पी/13 ब्रीक फलैट सोलिंग	2563.40 वर्गफीट	7690
	योग			11992 या,12000

जबकि इस कार्य में मात्र 10500 ईंट का प्रयोग दर्शाया गया (ढुलाई चार्ज मापीपुस्त पृष्ठ 15 में)। अतएव बगैर 1500 ईंट कम खरीद कर उससे ज्यादा काम करना संदेहास्पद था।

उपर्युक्त आपत्तियों का नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि यह तकनीकी मामला है इसके सम्बन्ध में तकनीकी पदाधिकारी से विचार विमर्श कर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

26. विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं–रू.1.73 लाख

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य का एकरारनामा फार्म एफ–2 (अनुसूची एक्स एल वी फॉर्म–61) में किया जाना चाहिए जिसमें संविदा के सामान्य नियम एवं शर्तों के उपबंध 2 में विलम्ब से कार्य समाप्ति पर संवेदक के विपत्र से विलम्ब शुल्क 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन और अधिकतम प्राक्कलन का 10 प्रतिशत का प्रावधान है।

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर विभिन्न मदों से संबंधित योजना अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक के साथ एकरारनामा निर्धारित प्रपत्र एफ–2 में न कर भारतीय गैर न्यायिक पेपर पर किया गया था। संवेदक को निर्गत कार्यादेश के सामान्य शर्त (कंडिका 2) एवं एकरारनामा के सामान्य शर्त (कंडिका 4) के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर विलम्ब के प्रथम माह में कुल प्राक्कलन का 2.5 प्रतिशत दुसरे माह में 05 प्रतिशंत एवं तीसरे माह में 10 प्रतिशत की कटौती अंतिम विपत्र से कर लेने का प्रावधान किया गया था। लेकिन संवेदक द्वारा कार्य विलम्ब से समाप्त (मापीपुस्त के अंतिम तिथि) करने के बावजूद विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं की गई थी। जिसके कारण संवेदक को अनुचित रूप से ₹173450.00 का अधिक भुगतान किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– XI पर)

अंकेक्षण आपत्ति का नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में एफ–2 फार्म पर संवेदक से एकरारनामा नहीं किया गया फलस्वरूप योजना कार्य दिये गये समयावधि के अन्दर पूर्ण नहीं करने पर संवेदक से विपत्र का 10 प्रतिशत विलम्ब दण्ड के रूप में नहीं की गई। इसके लिये प्रयास किया जायेगा तथा भविष्य में ख्याल रखा जाएगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उपरोक्त राशि ₹173450.00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत के निधि में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

27. श्रम उपकर की कटौती नहीं– ₹1.50 लाख

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996' के तदनानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1 –302/2006, श्र0नि0 –865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। जो वर्ष 2007–08 से ली गई योजनाओं पर लागु होगा। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर राशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से सचिव बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

निर्धारित अवधि मे सेस जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सेस 2 प्रतिशत की दर से तथा उस पर सुद 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से देय होगा तथा साथ ही सेस भुगतान के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी द्वारा सेस जमा नहीं करने पर अर्थदंड के साथ– साथ कारावास का प्रावधान है।

परन्तु नगर पंचायत के वर्ष 2007–08 सें 2012–13 के विभिन्न मदों से संबंधित योजना अभिलेख, योजना पंजी के नमूना जांच में पाया गया कि कुल 45 पूर्ण योजनाओं पर नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के द्वारा विपत्रों से ₹150052.00. की श्रम सेस की कटौती नहीं की गई थी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– XII पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि चूंकि प्राक्कलन में इसका प्रावधान नहीं किया गया था साथ ही जानकारी के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई। भविष्य में इसका ख्याल रखा जाएगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः श्रम उपकर की नहीं की गई कटौती राशि ₹150052.00 की वसुल इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

28. दैनिक मजदूरी पर अनियमित व्यय–रू.16.00 लाख

बिहार सरकार के पत्रांक 682 दिनांक 21.02.08 एवं 1231 दिनांक 06.05.1992 के द्वारा स्थानीय निकायों को दैनिक मजदूरी पर मजदूर/कर्मचारी को कार्य पर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है तथा इस पत्रानुसार स्वच्छता कार्य बाहय स्त्रोत से कराने एवं इसके लिए निविदा आमंत्रण करना आवश्यक किया गया है।

लेकिन नगर पंचायत के शीर्ष वेतन भत्ता एवं विविध मद के सहायक रोकड़ बही (अवधि 01.04.07 से 13.10.10) के सांथ अभिश्रवों के नमूना जांच में पाया गया कि नगर पंचायत के द्वारा उक्त अवधि के दौरान कुल ₹1599681.00 दैनिक वेतनभोगी कर्मी/मजदूरों पर अस्थायी अग्रिम व वेतन/मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया था, जो अनियमित था, निम्न है:–

(विस्तृत परिशिष्ट– XIII पर)

(67)

इस प्रकार सरकार के निर्देश के विरूद्ध अवधि 01.04.07 से 13.10.10 के दौरान दैनिक मजदूरों पर अनियमित व्यय ₹1599681.00 किया गया था।

टिप्पणी

1. वेतन भत्ता एवं विविध मद के सहायक रोकड. बही अवधि 13.10.10 से 31.03.13 तक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत/संधारित नहीं किया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि कर्मियों की कमी के कारण जनहित को ध्यान में रखते हुए दैनिक वेतन भोगी कमियों को बोर्ड की स्वीकृति पर रखा गया है दिनांक 13.10.10 से 31.03.13 तक का वेतन भत्ता एवं विविध मद की सहायक रोकड़ पंजी शीघ्र प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

उपरोक्त जवाब को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है।

अतः सरकार से इस संबंध में स्वीकृति प्राप्त करने तक दैनिक मजदूरी पर किया गया व्यय ₹1599681.00 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

29. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान एंव लेखापरीक्षा के समाप्ति (दिनांक 22.06.2013) पर प्रमुख बिन्दुओं पर कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से वार्तालाप की गयी।

30. लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए :–

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	शुन्य
2	वसूली के लिए सुझायी गयी राशि	₹3716868.00
3	लेखापरीक्षा के अधीन रखी गयी राशि	₹8646266.00
4	अधिभार के अधिन वसूली हेतु सुझाई गयी राशि	शुन्य

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– XIV पर)

31. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार अपेक्षित है। प्रमुख अभिलेख जैसे :– माँग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, इत्यादि संधारित नहीं थे। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। परिषद् के विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों की देख –रेख तथा परिषद् कोष में उनका जमा पर पदाधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। पुर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कडिकाओं का अनुपालन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

–हस्ता0–

(नीरज कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
–––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

165

सं0.एल0ए0/एस0एस0.1/श0स्था0नि0/ **दिनांकः–**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाय।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

सं0.एल0ए0/एस0एस0.1/श0स्था0नि0/ 14535/1894 **दिनांकः–**26.9.14

आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुंगेर

29/9/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट – I

लेखा परीक्षा के दौरान जाँच किये गये अभिलेखों/पंजियों की सूची

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित)

1. लेखापाल रोकड़ बही।
2. चेक अधपन्ना।
3. दैनिक संग्रह पंजी।
4. विविध रसीदें।
5. गृहकर रसीदें।
6. सहायक रोकड़ बहियाँ।
7. योजना संचिका।
8. भण्डार पंजी।
9. योजना पंजी
10. चलान पंजी
11. रसीदों के भण्डार पंजी।
12. बन्दोवस्ती संचिकाएँ।
13. अभिश्रव।
14. कय संबंधि संचिकाएँ।

परिशिष्ट – II

लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखों/पंजियों की सूची

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित)

1. माँग एवं वसूली पंजी।
2. कर्मचारियों के सेवा पुस्तिकाएँ।
3. भविष्यनिधि पास बुक।
4. वाद पंजी।
5. सम्पति पंजी।
6. ऋण पंजी।
7. अनुदान पंजी
8. लॉग बुक।
9. बिल पंजी।
10. बैठक पंजी।
11. कोषागार पास बुक/विवरणी।
12. रोकड़पाल रोकड़वही।
13. वार्षिक लेखा।
14. बजट।
15. अग्रिम पंजीं।

परिशिष्ट - III
(क्रेडिट ... से संबंधित)

सहायक रोकड़ वही का आय व्यय विवरणी

	जनगणना एवं आर्थिक गणना	एन0एस0डी0पी0	मार्केट कम्पलैक्स (स्वपोषित योजना)	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन	चतुर्थ राज्य वित्त्य एवं नागरिक सुविधा	एस0जी00एस0आर0वाई0	वेतन भत्ता एवं विविध	विविध (वाणिज्य कर अग्रधन आयकर)	नगर विकास विभाग
2007-08									
प्रां0 शेष	1880	88821	6000			64809.66	663455.66	667.75	1941167.30
प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य	623074.50	0	2380106
कुल प्राप्ति	1880	88821	6000			64809.66	1286530.16	667.75	4321273.30
व्यय	शून्य	10121	5000			शून्य	1034986.15	0	397384
अंत शेष	1880	78700	1000			64809.66	251544.01	667.75	3923889.30
2008-09									
प्रां0 शेष	1880	78700	1000			64809.66	251544.01	667.75	3923889.30
प्राप्ति	6810	शून्य	98200			शून्य	1521245	164136	7170680
कुल प्राप्ति	8690	78700	99200			64809.66	1772789.01	164803.75	11094569
व्यय	6810	शून्य	72000			शून्य	1684233.92	26185	1537124
अंत शेष	1880	78700	27200			64809.66	88555.09	138618.75	9557445.30
2009-10									
प्रां0 शेष	1880	78700	27200			64809.66	88555.09	138618.75	9557445.30
प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य	2447565.75	552842	1023272
कुल प्राप्ति	1880	78700	27200			64809.66	2536120.84	691460.75	10580717.30
व्यय	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य	1933363.23	42395	2953315
अंत शेष	1880	78700	27200			64809.66	602757.61	649065.75	7627402.30
2010-11									
प्रां0 शेष	1880	78700	27200			64809.66	602757.61	649065.75	7627402.30
प्राप्ति	380858	शून्य	शून्य			शून्य	2543480	368839	0
कुल प्राप्ति	382738	78700	27200			64809.66	3146237.61	1017904.75	7627402.30
व्यय	361756	शून्य	शून्य			शून्य	2567178.45	0	1037806
अंत शेष	20982	78700	27200			64809.66	579059.16	1017904.75	6589596.30

24(6)

2011-12									
प्रां० शेष	20982	78700	27200	शून्य	शून्य	64809.66	579059.16		
प्राप्ति	शून्य	शून्य	60500	140000	7430486	शून्य	3327818		
कुल प्राप्ति	20982	78700	87700	140000	7430486	64809.66	3906877.16		
व्यय	13448	शून्य	शून्य	30000	शून्य	शून्य	2089846		
अंत शेष	7534	78700	87700	110000	7430486	64809.66	1817031.16		
2012-13									
प्रां० शेष	7534	78700		110000	7430486	64809.66			
प्राप्ति	276571	शून्य		शून्य	9908063	3000000			
कुल प्राप्ति	284105	78700		110000	17338549	3064809.66			
व्यय	271571	शून्य		110000	4151847	134200			
अंत शेष	12534	78700		शून्य	13186702	2930609.66			

नीरज कुमार
सी० ओ० पी० एम०

परिशिष्ट - IV
(कंडिका - 7 से संबंधित)

बी0आर0जी0एफ0 सहायक रोकड़ बही					
विवरणी	2008—09	2009—10	2010—11	2011—12	2012—13
प्रारम्भिक शेष	शून्य	2416671	6264629	6774460	11356288
अनुदान	2946771	4833150	2098898	4274831	2807446
ब्याज	शून्य	48122	289032	306997	377020
अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष की प्राप्ति	2946771	4881272	2387930	(4881828) 4581828	3184466
कुल प्राप्ति	2946771	7297943	8652559	11356288	14540754
कुल व्यय	530100	1033314	1878099	शून्य	4739065
अंत शेष	2416671	6264629	6774460	11356288	9801689

19(59)

परिशिष्ट - V (कंडिका न० से संबंधित)

वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक विभिन्न मदों के प्राप्त अनुदानों की विवरणी

क्र.सं.	स्वीकृत्यादेश पत्रांक / तिथि	रोकड़ बही तिथि	राशि
1	2	3	4 (₹)
(a) 1. BRGF			
(i)	DDC cum CEO पत्रांक ~~436~~ मुंगेर 320 / 28.6.09 चेक सं० 993665 / 27.06.08	27.07.08	2946771=00
(ii)	DDC Cum C.E.O मुंगेर पत्रांक 197 / 23.5.9 चेक सं० 082091 / 23.5.9	19.08.09	329561=00
(iii)	DDC Cum CEO मुंगेर पत्रांक 198 / 23.5.9 चेक सं० 62212 / 23.5.9	19.06.09	2070532=00
(iv)	DDC Cum CEO पत्रांक 30 / 16.01.10 चेक सं० 062713 / 18.1.10	19.01.10	2433057=00
(v)	DDC-Cum-CEO पत्रांक 715 / 05.10.10 चेक सं० 063013 / 5.10.10	05.10.10	843636=00
(vi)	DDC Cum CEO पत्रांक 905 / 28.12.10 Ch No 496186 / 27.12.10	29.12.10	1255262=00
(vii)	DDC-Cum-CEO पत्रांक 436 / 11.7.11 Ch No 025565 / 05.07.11	14.07.11	2021085=00
(viii)	DDC-Cum-CEO पत्रांक 129 / 10.3.12 Ch. 026215 / 07.3.12	30.03.12	2253746=00
(ix)	DDC-Cum-CEO पत्रांक 216 / 20.04.12 Ch. 026346 / 9.4.12	17.09.12	238821=00
(x)	DDC-Cum-C.E.O पत्रांक 580 / 6.11.12 Ch No 025805 / 30.10.12	07.01.13	34343=00
(xi)	DDC-Cum-CEO पत्रांक 52 सं 53 / 05.2.13	31.03.13	2501936=00
(xii)	DDC-Cum-CEO पत्रांक 70 / 14.2.13	31.03.13	32346=00
2 (i)	SGSRY UD & HD-RTGS के माध्यम से PNB बचत A/C No-0737000103160196 में सीधे जमा	04.12.12	30,00,000=00
		कुल	19961096=00

(हस्ताक्षर)

2	3	4	5 उद्देश्य
3. चतुर्थ राज्य वित्त		BF 1996/096	
(i) UD&HD-52 एवं 60/19 3/12	30 03/12	2939520=00	वेतन एवं विकास मद
(ii) UD&HD-53 एवं 61/19 3/12		2145733=00	
(iii) UD&HD-54 एवं 62/26 3/12	"	2000000=00	→ अर्सबंध अनुदान
(iv) UD&HD-58 एवं 68/26 3/12	"	266254=00	→ सेवान्तलाभ एवं अवकाश अनुदान
(v) UD&HD-88 एवं ज्ञापांक 67/4.3/13	"	78979=00	ई- गवर्नेंस
(vi) UD&HD-118/14.3.13	24 3/13	8208063=00	
	24/3/13	1700000=00	— नागरिक सुविधा
4. 12वाँ वित्त आयोग			
(i) UD&HD ज्ञापांक 5674/19.12.07	11.03.08 (UDD C/B)	977906=00	सहायक अनुदान
(ii) तथैव पत्रांक 28/17.3.10	—	511636=00	
(iii) तथैव पत्रांक 41/25-3-10	—	511636=00	
5. 13वाँ वित्त			
(i) UD&HD पत्रांक 95/17.8.10	—	10,00,000=00	
(ii) तथैव ज्ञापांक 21/4.8.11		11,00,000=00	
(iii) तथैव पत्रांक 24/23.8.11	—	1,60,000=00	
(iv) तथैव पत्रांक 49/12.3.12	—	12,83,000=00	
(v) तथैव ज्ञापांक 01/4.4-12	—	8,31,000=00	
(vi) तथैव पत्रांक 19 एवं 29/19 7/12	—	13,56,000=00	General Basic Grant
(vii) तथैव पत्रांक 22 एवं 36/31 8/12	—	4,32,000=00	→ General Performance
6. UD&HD ज्ञापांक 3230/20 6/8	—	15,89,851=00	पथों के निर्माण/जीर्णोद्धार
7. तथैव ज्ञापांक 4533/29 8/8	—	28,87,875=00	प्रशासनिक भवन निर्माण
8. तथैव " 3774/14 7/8	—	22,04,000=00	नालों का निर्माण
9. तथैव पत्रांक 1028/10 12/07	—	27,910=00	BPL परिवारों के पहचान हेतु सर्वेक्षण
10. तथैव ज्ञापांक 5264/26.11.7	02.01.08 (वेतन भत्ता एवं विविध मद C/B)		
11. तथैव पत्रांक 38/9.3.9	8.02.08	470004=00	वेतन भत्ता
12. तथैव " 119/4.10.10.	12.6.9	309538=00	" "
13. तथैव " 138/9.2.11		156240=00	" "
~~14. तथैव~~	—	53375=00	समेकित अल्प लागत सुरक्षा स्व०
		कुल 5,31,61616=00	

2	3	4	5
		रु BF 531 61616=00	
(i) UD & HD पत्रांक 6243/3 $\frac{11}{10}$ DD No 708410/2.11.10		1,40,000=00	नगर प्रबंधक का मानदेय
(ii) तथैव DD No-021518/16 $\frac{6}{11}$ from UD & HD		1,00,000=00	" "
(iii) UD&HD पत्रांक 41/19.9.12		2,40,000=00	" "
15 UD & HD ज्ञापांक 856/21-2-8		~~14,2200=00~~ 14,02,200=00	पाठ्यक्रम आदि हेतु (uncertain reading)
16 (i) UD & HD ज्ञापांक 1536/23 $\frac{3}{8}$ एवं पत्रांक 1948/17 $\frac{4}{8}$	26 $\frac{4}{8}$ (वेतन मद)	3,82,000=00	Matching Grant (3rd SFC)
(ii) तथैव पत्रांक 26/16 $\frac{3}{10}$	31 $\frac{3}{10}$ (")	156379=00	" "
(iii) तथैव ज्ञापांक 166/26 $\frac{3}{11}$		1012067=00	" "
17 (i) UD & HD ज्ञापांक 4535/29 $\frac{8}{8}$	18 $\frac{11}{8}$ (")	74400=00	पार्षद भत्ता
(ii) तथैव " 30 एवं 1420/19.3.10	31 $\frac{3}{10}$ (")	74400=00	" "
(iii) तथैव पत्रांक 69/26 $\frac{04}{10}$	—	74400=00	" "
(iv) तथैव " 36 एवं 44/25 $\frac{01}{12}$	—	74400=00	" "
(v) तथैव " 44/20 $\frac{09}{12}$		74400=00	" "
~~(vi)~~			
18. (i) निर्वाचन महानिदेशक ज्ञापांक 2808/10 $\frac{10}{07}$ एवं AG Authority ज्ञापांक 17 स्थापना 485/6 $\frac{11}{7}$	01 $\frac{10}{08}$	2,49,690=00	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क
(ii) तथैव 2337/19 $\frac{10}{06}$ तथैव 22 स्थापना 103/3 $\frac{1}{7}$	25 $\frac{06}{08}$	176060=00	" "
(iii) तथैव 487/17 $\frac{3}{9}$ एवं तथैव 17 स्थापना 177/2 $\frac{7}{9}$	22 $\frac{9}{9}$	404965=00	" "
(iv) तथैव 407/6 $\frac{3}{9}$ एवं तथैव 17 स्थापना 321/14 $\frac{9}{9}$	24 $\frac{10}{9}$	383520=00	" "
(v) तथैव 307/9 $\frac{2}{10}$ एवं तथैव 17 स्थापना - 77/17 $\frac{5}{10}$		458320=00	" "
(vi) तथैव 500/18 $\frac{2}{11}$ एवं तथैव 17 स्थापना 630/5 $\frac{4}{11}$		805620=00	" "
(vii) तथैव 3009/23 $\frac{9}{11}$ एवं तथैव T.A 17 स्थापना 602/23 $\frac{12}{11}$		155220=00	" "
(viii) तथैव 728/12 $\frac{3}{12}$ एवं तथैव स्थापना 150/25 $\frac{4}{12}$		792660=00 ~~792660=00~~	
(ix) तथैव 729/12 $\frac{3}{12}$ एवं तथैव 155/25 $\frac{4}{12}$		283660=00 ~~283660=~~	
		कुल रु [60609017=00] 60675977	

56

2	3	4	5
20 @ग्रामीण जनगणना एवं आर्थिक गणना रोकड़ बही			
(i) D.M मुंगेर ज्ञापांक 819/5 6/8 SBI CH No 344511/21.6.8	19 08/08	6810=00	18वीं अखिल भारतीय पशुधन गणना कार्य
(ii) जिला पशुपालन पदा० मुंगेर ज्ञापांक - 499/20.4.10	15 06/10	42203=00	पशुगणना 2007 हेतु प्रगणकों को मानदेय
(iii) DM (जिला आपूर्ति शाखा) आदेश ज्ञापांक - 331/28-4-10	05 08/10	57855=00	राशन कार्ड वितरण कार्यों में लगे शिक्षित बेरोजगार को पारिश्रमिक
(iv) SBI CH No 905836/23 6/10	—	10000=00	कार्यालय व्यय
(v) प्रधान जनगणना पदा० सह जिला पदा० मुंगेर के ज्ञापांक 46/21.02.11 चेक सं० 126818 - 252300, 126805 58500	11.3.11	310800=00	जनगणना कार्य में लगे प्रगणक - पर्यवेक्षकों के मास्टर ट्रेनर को मानदेय
(vi) प्र० ज० पदा० सह जिला पदा० मुंगेर ज्ञापांक - 94/7.8.10 चेक 096964/15.12.10	20.03.11	10000=00	कार्यालय व्यय
(vii) तदैव ज्ञापांक - 04/15.3.12 SBI CH No 041936/—	9.04.12	270500=00	प्रगणक - पर्यवेक्षकों का मानदेय
(viii) PPC ज्ञापांक 57/28 12/12 AXIS Bank चेक 001518/—	10.3.13	5000=00	सामाजिक आर्थिक जनगणना कार्य हेतु कार्यालय व्यय
21. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन			
(i) अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर पत्रांक - 408/11 6/11 चेक सं० 288525/11.6.11	24.6.11	30000=00	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
(ii) तदैव पत्रांक 104/C दिनांक 3.02.12 चेक सं - 065439/3 2/12	06.02.12	10,000=00	"
		कुल 753168=00	
		6142945	

[signature]

2	3	4(रु)	5
19. कबीर अंत्येष्टि योजना (वेतन भत्ता सहायक रोकड़ बही एवं आवंटन पंजी के अनुसार		61429145	
(i) जिला समा० सु० कोषां मुंगेर पत्रांक 270/सा० सु० 18.6.9 CHNO 349124/18.6.9	10 08/09	1,08,000=00	
(ii) नवीन CH. 048573/30 6/10		1,62,000=00	
(iii) नवीन पत्रां० 802/25 10/11 CH No 004580/4 11/11		1,08,000=00	
(iv) नवीन (CH.— /30 3/12)		1,62,000=00	
(v) नवीन (सिंडीकेट Ch. 005880)		1,89,000=00	
(vi) ~~नवीन~~ DM मुंगेर आपांक 22/सा०सु०कोष 24/1/13 AXIS 4762/4 2/13.		4,59,000=00 सामान्य खंड	
(vii) नवीन Ch. No 4737/4 2/13		2,16,000=00 विशेष खंड	
		कुल [14,04,000=00]	
		62833145	

(a) 60609017=00
(b) 753168=00
(c) 1404000=00

कुल रु [62766185=00]
62833145=00.

C/S
Neeraj Kumar
BDO

Arvind Kumar

परिशिष्ट — VI (कंडिका 12 से संबंधित) 14

तेरहवीं मद से ली गई पी० सी० सी० सड़क निर्माण एवं नाला निर्माण से संबंधित योजना की सूची

क्र० सं०	योजना सं०	योजना का संक्षिप्त नाम	निविदानुसार प्राक्कलन की राशि	मापी की राशि	संवेदक को शुद्ध भुगतान	कुल कटौती की गई राशि	संवेदक का नाम	कार्यादेश (ग्राम सभा की अनुमति की स्वीकृति)	कोषागार/बैंक में भुगतान तिथि/प्रपत्र सं०
1)	01/11-12	सुरेश सिंह के विजय मंडल घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	468765=०	468586=०	427632=०	40954=०	पंकज कुमार	28.9.11	29.12.11/02
2)	02/11-12	अवध ठाकुर से मुजफ्फरगंज मुख्य पथ तक पी०सी०सी० सड़क	253773=०	253551=०	231374=०	22177=०	तदैव	28.9.10	29.12.11/02
3)	03/11-12	महावीर स्थान से ग्राम जंक्शन तक सड़क एवं नाला निर्माण	325038=०	324707=०	296869=०	27838=०	तदैव	22.12.11	29.12.11/02
4)	04/11-12	जनवर खाँ घर से जमाल खाँ घर तक नाला निर्माण	126637=०	126119=० ~~115824~~	115824=० ~~10295~~	10295=० ~~126119~~	तदैव	28.9.11	29.12.11/02
5)	5/11-12	कमाल घर से मस्जिद नदी तक नाला निर्माण	499650=०	499501=०	458581=०	40920=०	तदैव	28.9.11	29.12.11/02
6)	6/11-12	पुरानी डाक घर गली में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण	392404=०	392407=० ~~359154~~	359154=०	33253=०	तदैव	28.5.11	29.12.11/02
(7)	7/11-12	पुरानी सार घर से पंकज यादव घर तक नाला निर्माण	164698=०	164625=०	151562=०	13135=०	तदैव	28.5.11	29.12.11/02
8)	8/11-12	कुमंडल ग्रामीसभा से जगन्नाथ नगर तक पी०सी०सी० निर्माण	497557=०	497120=०	454177=०	42943=०	तदैव	28.5.11	29.12.11/02
9)	09/11-12	अर्जुन यादव के गली में नाला निर्माण	92454=०	92500=०	85187=०	7313=०	तदैव	28.9.11	29.12.11/02
10)	10/11-12	सतेन्द्र साह घर से मुख्य सड़क तक नाला निर्माण	98151=०	98105=०	89928=०	8177=०	तदैव	24.12.11	29.12.11/02
11)	11/11-12	अरविन्द मंडल घर से नारद के घर तक नाला निर्माण	495652=०	495272=०	453841=०	41431=०	तदैव	28.9.11	29.12.11/02
			34,14,773=०		31,24,129=०	288436=०	तदैव	28.9.11	29.12.11/02

योजना में कुल व्यय → 34,12,565 (3124129 + 288436)

Sd/- Sr.A.O